फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता/मा0 न्यायालय प्रकरण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

1, तिलक मार्ग, लखनऊ-226001 ।

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-46 /2015 दिनॉक लखनऊ:जून 16, 2015

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे/
समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन
उ0प्र0।

आप सभी भलीभॉति अवगत है कि धारा 154 द0प्र0सं0 1973 में वर्ष 2013 में क्रिमिनल (एमेण्डमेन्ट) एक्ट 2013 के द्वारा में संशोधन किया जा चुका है। धारा 154 द0प्र0सं0 निम्नवत् है:-

"Section 154 in The Code Of Criminal Procedure, 1973

154. Information in cognizable cases.

(1) Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may prescribe in this behalf.

Provided that if the information is given by the women against whom an offence under Section 326-A, Section 326-B, Section 354, Section 354-A, Section 354-B, Section 354-C, Section 354-D, Section 376, Section 376-A, Section 376-B, Section 376-C, Section 376-D, Section 376-E or Section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer:

(a) in the event that the person against whom an offience under Section 354, Section 354-A, Section 354-B, Section 354-C, Section 354-D, Section 376, Section 376-A, Section 376-B, Section 376-C, Section 376-D, Section 376-E or Section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted,is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer, at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice in the presence of the interpreter or a special educator as the case may be:

(b) the recording of such information shall be video graphed;

(c) the police officer shall get the statement of the person recorded by a Judicial Magistrate under clause (a) of sub-section (5-A) of Section 164 as soon as possible.

(2) A copy of the information as recorded under sub- section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant.

(3) Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection (1) may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him, in the manner provided by this Code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence."

'मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-31601/2015, गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में दिनांक 27.05.2015 को आदेश पारित किया है जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"In paragraph 12 of the writ petition, the first grievance of the petitioner is on the basis of 108 FIRs which were logded after the enforcement of the Amending Act in different districts of the State, including in Varanasi, Ghazipur and Mau. **All these FIRs, it has been submitted, have been lodged only through the intervention of higher police authorities such as the Superintendent of Police or upon the direction of the Court under Section 156(3) of the Criminal Procedure Code. The second grivance in paragraph 13 of the writ petition is that the first information reports in all the 108 cases were recorded by a male police expressly contrary to the mandate of the first proviso to section 154(1) of the Code.** Clause (b) of the second proviso also requires that the recording shall be video-graphed.

' The petition raises an important issue of public importance. The Court must be apprised of what steps have been taken by the State Government to ensure compliance with the amended provisions of Section 154(1) of the Code, including by way of videography. We direct the Principal Secretary (Home) to activate the administrative machinery immediately upon the receipt of this order and to indicate to the Court by the next date of hearing, the steps for compliance which have been taken in the State. In order to enable the Principal Secretary (Home) to have sufficient period of time, we direct that the petition shall be listed on 30 July 2015 under the fresh caption. The Principal Secretary (Home) shall file a counter affidavit in the meantime.'

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका में सुनवाई हेतु 30 जुलाई 2015 नियत करते हुए यह निर्देशित किया है कि धारा 154 द0प्र0सं0 के कियान्वयन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि दिनांक 30.07.2015 को प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 धारा 154 के कियान्वयन के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की गयी हो, शपथ पत्र दाखिल करें।

मा0 उच्च न्यायालय ने यह आदेश धारा 154 के क्रियान्वयन न किये जाने के कारण पारित किया ।

अत: धारा 154 (1)(a)(b)द0प्र0स0-1973 के अनुपालन के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश दिये जा रहे है:-

1. **अपने अधीनस्थ समस्त थानों मे एक महिला आरक्षी (मुन्शी) के रुप में नियुक्त करना सुनिश्चित करें एवं इसकी अनुपालन आख्या दिनांक 22.06.2015 तक उपलब्ध करायें।** द0प्र0स0 के धारा 154(1) के अन्तर्गत महिला पुलिस कर्मी से अपेक्षित समस्त कार्यवाही इस महिला मुन्शी द्वारा सम्पादित की जायेगी । देहात के दूरस्थ थानो में महिला आरक्षी के सहयोग हेतु एक महिला होमगार्ड को भी नियुक्त करें ।

2. दूरस्थ थानो में महिला आरक्षियों के निवास हेतु आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करायें तथा जहाँ पर सरकारी आवासीय व्यवस्था न हो तो उन्हें नियमानुसार किराये पर आवास उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये ।

3. धारा 154 द0प्र0सं0 में नियत प्रविधान के अन्तर्गत जब भी **विकलांग महिला का बयान अंकित किया जाये तो उसकी वीडियो रिकार्डिगं कराया जाय तथा इन्टरप्रेटर अथवा स्पेशल एजूकेटर (अनुवादक एवं विशेष शिक्षित व्यक्ति) को साथ रखा जाये तथा प्रत्येक थाने में इन्टरप्रेटर एवं स्पेशल एजुकेटर की सूची का रख-रखाव अवश्य किया जाये। जिससे आवश्यकता पड़ने पर इनकी सेवायें ली जा सके। इस कार्य में भी महिला आरक्षी को साथ रखें।**

4. सभी थानों में यह सुनिश्चित करा लें कि वीडियों ग्राफी/वीडियो कैमरा की सुविधा उपलब्ध है।थानों में वीडियो कैमरा के **संचालन हेतु प्रशिक्षित पुलिस कर्मी लगायें तथा इनका प्रशिक्षण भी करायें।**

5. ज्ञातव्य है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पूर्व में भी इस सम्बन्ध में अ0शा0पत्र संख्या:डीजी-सात-एस-2ए(निर्देश)2013, दिनांक:लखनऊ अप्रैल 12, 2013 द्वारा निर्गत किया गया है।

अत: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि **Criminal Law (Amendmend) Act-2013** में धारा 154 (1)(a) (b) द0प्र0सं0- 1973 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करायें। जिससे मा0 न्यायालय के आदेशों की अवमानना न हो। अनुपालन की सूचना प्रत्येक दशा दिनांक 26.06.2015 तक सभी पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स अपनी टिप्पणी सहित तथा अपने हस्ताक्षर एवं इस प्रमाण पत्र के साथ कि उनके जोन के सभी जनपदों में अनुपालन की व्यवस्था सुचारू रूप से लागू कर दी गयी है, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ए0के0 जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक को इस निर्देश के साथ कि वह प्रदेश के समस्त जनपदीय थानों में महिला आरक्षी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि वह राज्य के सभी थानो में महिला आरक्षियों के लिए आवासीय सुविधा एवं थानों में वीडियों कैमरा की उपलब्धता की समीक्षा कर आख्या दि0 26.06.2015 तक हर दशा में उपलब्ध करायें।